

Study Leave for Army Officers

532. SHRI P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the officers and other senior personnel in the Army are unable to enjoy necessary study-leave for improvement and strengthening of their qualifications at home and abroad;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the number of officers who availed themselves of such facilities during the year 1976?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) to (c). Study Leave is admissible only to Permanent Commissioned Officers of the Army Medical Corps, the Army Dental Corps, Veterinary Officers of the Remount and Veterinary Corps, and officers of the Military Farms.

Officers of the other Corps of the Army or JCOs/NCOs or OR of any Corps are not entitled to Study Leave.

The Study Leave is granted, where admissible, for a period not exceeding 24 months during the entire service; however, the Study Leave is not allowed for a period of less than six months. During Study Leave full pay of Substantive Rank is admitted.

In 1976, 33 officers of the Army Medical Corps, 2 officers of the Remount and Veterinary Corps, and one officer of the Military Farms availed of this facility of Study Leave; out of them 4 AMC officers were granted Study Leave for studies in U.K.

सरकारी विभागों तथा सरकारी उपक्रमों द्वारा संसदीय चुनावों के दौरान विज्ञापन

533. श्री मोठालाल पटेल क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली सरकार ने हाल के संसदीय चुनाव के दौरान किन्हीं समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को विज्ञापन दिये थे ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन विभागों तथा सरकारी उपक्रमों द्वारा यह विज्ञापन किस-किस पत्र तथा पत्रिका को किस-किस दर पर दिये गये थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण झाड़वाणी) : (क) जी, हां । विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने 18 जनवरी, 1977 से 20 मार्च, 1977 तक की अवधि के दौरान वर्गीकृत विज्ञापनों सहित अपने विभिन्न विज्ञापन अभियानों के लिए 2014 समाचार पत्रों नियत-कालिक पत्रों का उपयोग किया ।

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, रेलवे को छोड़कर विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों की ओर से विज्ञापन जारी करने वाली के द्वीयकृत एजेंसी है । कुछ स्वायत्तशासी निकाय और सरकारी उपक्रम भी अपने विज्ञापनों को, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से जारी करते हैं ।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जिन मंत्रालयों, सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी निकायों और सरकारी उपक्रमों की ओर से विज्ञापन जारी किए गए हैं । उनके नाम विवरण 1 में दिये गये हैं जो सभा पटल पर रखा गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी -346/77] इस प्रकार जिन समाचार पत्रों को विज्ञापन दिए गए, उनके नाम विवरण 2 में दिए गए हैं । उनको विज्ञापन उस समय लागू दरों पर दिये गये थे ।